

उत्तराखण्ड शासन,
उच्च शिक्षा अनुभाग-3

संख्या: /XXIV(3)/2018-01(30)2016,
देहरादून, दिनांक: 31 जनवरी, 2018

अधिसूचना

अपीलीय प्राधिकरण के गठन विषयक पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या-276/XXIV(N)-42(12)2014, दिनांक 25 अगस्त, 2014 को अधिक्रमित करते हुये उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम 2006, (संशोधित) अधिनियम, 2010 की धारा-12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर, उक्त धारा के प्राविधानान्तर्गत निम्नवत् अपीलीय प्राधिकरण का गठन किया जाता है:-

- | | |
|--|---------|
| (क) जस्टिस बृजेश कुमार श्रीवास्तव-II, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहबाद | अध्यक्ष |
| (ख) श्री सुभाष कुमार, सेवानिवृत्त मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन | सदस्य |
| (ग) डा0 राजेन्द्र डोभाल (FNASc), महानिदेशक, उत्तराखण्ड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, देहरादून | सदस्य |

2. उक्त अपीलीय प्राधिकरण के नामित सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष की अवधि अथवा उसके 65 वर्ष की आयु प्राप्ति की तिथि तक, जो भी पूर्व में घटित हो, होगा।

3. उपरोक्तानुसार गठित अपीलीय प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं नामित सदस्यों को कार्यालय ज्ञाप संख्या:-42-टीसी/2010/XXIV(6)/12, दिनांक 27 अप्रैल, 2012 में निहित व्यवस्था के अनुरूप प्रति बैठक मानदेय भुगतान किया जायेगा।

(डा0 रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव

संख्या: -33 (1)/XXIV(3)/2018-01(30)2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जस्टिस बृजेश कुमार श्रीवास्तव-II, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहबाद, अध्यक्ष, अपीलीय प्राधिकरण, बी0-5 आलोकपुरी, रविन्द्र पल्ली, फैजाबाद रोड़, लखनऊ-226016।
2. श्री सुभाष कुमार, सेवानिवृत्त मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, 5 तिलक रोड़, फॉरेस्ट गेस्ट हाउस, देहरादून।
3. डा0 राजेन्द्र डोभाल (FNASc), महानिदेशक, उत्तराखण्ड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, विज्ञान धाम, विज्ञान सदन ब्लॉक, देहरादून-248007।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय/चिकित्सा शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/आयुष/संस्कृत शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव श्री राज्यपाल, राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय, उत्तराखण्ड।
6. कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड।
8. अध्यक्ष एवं समस्त सदस्य, प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति, उत्तराखण्ड।